मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स। किसान भवन। जेलरोड भोपाल

क्रमांक/स्थापना 2/अ 1/378/463 भोपाल, दिनांक20/07/2023

// आदेश //

श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल, निलंबित मंडी निरीक्षक, कृषि उपज मंडी समिति बीना जिला सागर संबंद्ध म.प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय सागर द्वारा कृषि उपज मंडी समिति दमोह के विरूद्ध विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय सागर म.प्र. द्वारा राशि रूपये 20,000/ रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के कारण अपराध क्रमांक 278/2015 धारा 7,13(1) डी,13(2) पी.सी. एक्ट 1988 के अंतर्गत दिनांक 30.06.2015 को पंजीबद्ध किया गया था।

2. म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-15/19/2017/14-3 दिनांक 16.06.2017 द्वारा आरोपी श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल, निलंबित मंडी निरीक्षक, कृषि उपज मंडी समिति बीना जिला सागर संबंद्ध म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय सागर के विरूद्ध संस्थित अपराध क्रमांक 278/2015 में सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिये जाने हेतु अभियोजन संस्थित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल, निलंबित मंडी निरीक्षक, कृषि उपज मंडी समिति बीना जिला सागर संबंद्ध म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय सागर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 278/2015 धारा 7,13(1) डी,13(2) पी.सी. एक्ट 1988 के अंतर्गत दिनांक 18.07.2017 को माननीय विशेष न्यायाधीश दमोह में चालान प्रस्तुत किया गया।

4. माननीय विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दमोह द्वारा दिनांक 07.11.2022 को निर्णय पारित किया, जिसमें श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल, को दोष सिद्ध करते हुए दण्डित धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (2018) अनुसार 04 वर्ष सश्रम कारावास एवं रूपये 20,000/- अर्थदण्ड, अर्थदण्ड व्यतिक्रम में 6 माह का कारावास से दण्डित किया गया।

5. श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल, निलंबित को मान न्यायलय द्वारा दण्डित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-6-2/98/3/1 दिनांक 08/02/1999 में निहित निर्देशानुसार म.प्र.राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 30 (छः)(सात) में प्रावधानित, "सेवा से पदच्युत (Dismissal) मानते हुए देय समस्त स्वत्वो (पेंशन सहित) राजसात करने" की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

अतः माननीय न्यायलय द्वारा क्रमांक (4) में उल्लेखित दण्ड दिये जाने के अनुक्रम में म.प्र.राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 30 (छः)(सात) के तहत श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल, निलंबित मंडी निरीक्षक, कृषि उपज मंडी समिति बीना जिला सागर संबंद्ध म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय सागर के विरुद्ध "सेवा से पदच्युत (Dismissal) मानते हुए देय समस्त स्वत्वो (पेंशन सहित) राजसात" करने की शास्ति श्री पटेल को सजा भुगताए जाने के दिनांक 07.11.2022 से अधिरोपित की जाती है।

20/7/23

(गौतम सिंह)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/स्थापना-2/अ-1/378/ 464 भोपाल दिनांक 29/07/2023

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 विशेष सहायक, मान. मंत्री जी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह-अध्यक्ष मंडी बोर्ड।

2- निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

3- अपर संचालक(वित्त/विभागीय जॉच), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

4- संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय सागर।

5- भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति दमोह जिला दमोह/ बीना जिला सागर।

6- श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल, (निलंबित) सेवानिवृत्त मंडी निरीक्षक, कृषि उपज मंडी समिति बीना जिला सागर संबंद्ध म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय सागर की ओर पालनार्थ।

7- आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती/गोप.चरि.वली/लेखा शाखा/विधि शाखा/कम्प्यूटर शाखा मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

29/07/23

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल